न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर प्रार्थना पत्र/46/2017

तारीख रजु 23.05.2017

उनवान

1. मीठ्या पुत्र सिकन्दर जाति मीना वगै0 निवासी सनकी का पुरा कांचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली।

——सायल(06)

बनाम

1. रेवतीलाल पुत्र गंजन जाति मीना निवासी सनकी का पुरा कांचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली।

———गैरसायलान(02)

उपस्थितिः—

सायल की ओर से :— श्री अशोक नीमनका एडवोकेट
गैरसायलान की ओर से :— कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 17.03.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायल की ओर वकालतन एक प्रार्थना बावत् अस्थाई निषेद्याज्ञा स्थित ग्राम काचरौली तहसील हिण्डोन के खसरा न. 2193, 2194, 2200/3191 के सम्बंध में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार—बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभये पक्ष उक्त प्रार्थना पत्र में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः सायल प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 46/2017 मीठ्या बनाम रेवतीलाल बालमुकन्दी अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.08.06 16:41:01 IST
Reason: SelfAttested